

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2020—भाद्रपद 6, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 जून 2020

क्रमांक ई 1-09/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा वर्ष 2019 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन भा.प्र.से. अधिकारियों की निम्नानुसार नवीन पदस्थापना की जाती है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री ललितादित्य नीलम	सहायक कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव	सहायक कलेक्टर, जिला-बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	सुश्री नम्रता जैन	सहायक कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.	सहायक कलेक्टर, जिला-रायपुर
3.	सुश्री रेना जमील	सहायक कलेक्टर, जिला-कांकेर	सहायक कलेक्टर, जिला-बस्तर
4.	श्री विश्वदीप	सहायक कलेक्टर, जिला-कोरिया	सहायक कलेक्टर, जिला-सरगुजा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 1-35/2010/32.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़, गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री कुलदीप जुनेजा, रायपुर को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति राज्य शासन के आगामी आदेश पर्यन्त अथवा श्री कुलदीप जुनेजा, रायपुर द्वारा उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष, जो भी अवधि पहले हो, के लिये होगी।

3. उपर्युक्तानुसार श्री जुनेजा द्वारा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर माननीय मंत्री जी, आवास एवं पर्यावरण विभाग, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर के कार्यभार से मुक्त होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 1-2/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-40 के खण्ड (क) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुभाष धुप्पड़, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर नियुक्त करता है।

2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अंतर्गत श्री धुप्पड़ की पदावधि चार वर्षों की होगी। परन्तु पदावधि पूर्ण होने के पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा पद से, उसके लिये कोई कारण दिये बिना हटाया जा सकेगा।

3. उपर्युक्तानुसार श्री सुभाष धुप्पड़ द्वारा अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती संगीता पी. (भा.प्र.से.), अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के कार्यभार से मुक्त होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलम नामदेव एक्का, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 12 जून 2020

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/9146/भू-अर्जन/2020.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	हुंकरा	0.745 हे.	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 03-07-2020 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन हुंकरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	14 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	14 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उसपर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 12 जून 2020

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/9150/भू-अर्जन/2020.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	जेंजरा	2.099 हे.	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 06-07-2020 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन जेंजरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	25 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	25 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उसपर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 15 जून 2020

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/9233/भू-अर्जन/2019-20.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	जेंजरा	1.123 हे.	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट शाखा नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 06-07-2020 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन जेंजरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट शाखा नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	योजना के निर्माण होने से सिंचाई के साधन होने से फसल के पैदावार में वृद्धि होगी. जो जनहित में होगा.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उसपर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

(1)	(2)
12	0.016
22/1ख	0.020

कोरबा, दिनांक 28 जुलाई 2020

योग	22	1.686
-----	----	-------

क्रमांक/11229/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोड़ी उपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-गुरसिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.686 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26/1क	0.097
24/1	0.057
24/1ख	0.154
24/1ग	0.057
24/1क	0.028
22/1क	0.081
99/1	0.170
22/2	0.061
20/1	0.283
20/2	0.040
8/4	0.028
8/3	0.081
8/5	0.032
18/2	0.113
18/3	0.024
18/5	0.055
18/6	0.042
9/2	0.052
9/1ख	0.138
11	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुरसिया व्यपवर्तन योजनान्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पोड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 जुलाई 2020

क्रमांक/11232/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोड़ी उपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-डंगनिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.316 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
794/5	0.233
797/1	0.020
800/1	0.134
800/2	0.024
802/2	0.012
810/1	0.053
800/3	0.049
800/4	0.040
799/1	0.012
798	0.008
799/3	0.061

(1)	(2)	(1)	(2)
796/1	0.097	71	0.162
803, 804, 805, 806, 807	0.213	68	0.036
799/2	0.073	76	0.073
797/4	0.032	691	0.045
808/5	0.049	675/3	0.024
797/5	0.142	77, 78, 79	0.101
797/4	0.028	384, 385, 389	0.101
797/6	0.036	75	0.069
योग	19	74/1	0.052
		367/1	0.057
		472/1	0.109
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामपुर जलाशय योजनान्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.		74/2	0.016
		367/2	0.032
		504	0.024
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पोड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.		472/2, 471	0.093
		467	0.028
		461/1	0.036
		756/1	0.040
कोरबा, दिनांक 28 जुलाई 2020		85	0.016
		86/1	0.101
		89	0.101
क्रमांक/11241/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		724	0.061
		86/4	0.101
		411, 412/2	0.024
		409/3	0.024
		406	0.073
		396/3	0.024
		412/1	0.020
		753	0.028
		396/5	0.024
		388	0.040
(1) भूमि का वर्णन-		675/1	0.069
(क) जिला-कोरबा		365	0.032
(ख) तहसील-पोड़ीउपरोड़ा		512, 513	0.036
(ग) नगर/ग्राम-दर्भाठा		509, 510, 511	0.057
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.835 हेक्टेयर		741	0.016
		918/1, 917/2, 919	0.162
खसरा नम्बर	रकबा	393	0.121
	(हेक्टेयर में)	386	0.016
(1)	(2)	368	0.036
		371	0.012
43/1	0.061	372	0.016
723/1	0.032	369	0.028
65/1	0.057	901, 902	0.089
67	0.024	900/ड	0.028
33, 34/2, 41/2	0.073	900/4	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
908/1क	0.121	722/1	0.020
920	0.040	722/2	0.016
921/1	0.024	719/1	0.029
917/5	0.101	719/3	0.016
917/8	0.093	718/2	0.036
931/3	0.081	713/2	0.036
929, 930, 931/2	0.121	717/1	0.117
954/4	0.073	675/4	0.024
514	0.028	671	0.016
507	0.057	673, 675/3	0.081
506/2	0.045	387	0.117
506/1	0.045	894/1	0.085
505	0.036		
500, 501	0.185	योग	4.835
461/2	0.032		
461/3	0.024	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामपुर जलाशय	
743	0.173	योजनान्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.	
462	0.049		
742	0.020	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
739/1	0.045	(रा.), पोड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
739/2	0.053		
725/2	0.036	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
725/3	0.036	किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई
नेवई, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के अध्यादेशों एवं परिनियम

भिलाई, दिनांक 27 अगस्त 2020

त्रुटि सुधार

क्रमांक छगस्वावितवि/प्रशा./2020/1987.—छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 66 (2) के तहत, राज्यपाल/कुलाधिपति द्वारा दिनांक 05 अप्रैल 2017 को अनुमोदन उपरांत छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई अध्यादेश क्रमांक 31-“विश्वविद्यालय द्वारा देय विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य संवर्गों के लिए वेतनमान सहित अर्हताएं एवं सेवा शर्तों सम्बंधी अध्यादेश”, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है. यह अध्यादेश राज्यपाल/कुलाधिपति के अनुमोदित की तिथि से प्रवृत्त होता है.

अस्वीकरण : अध्यादेश अंग्रेजी में अनुमोदित है. अनुमोदित अध्यादेश का यह हिन्दी अनुवाद है. यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित अध्यादेश मान्य होगा.

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

अध्यादेश क्रमांक – 31

(अनुच्छेद 38 की धारा 15 देखें)

विश्वविद्यालय द्वारा देय विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य संवर्गों के लिए वेतनमान सहित अर्हताएं एवं सेवा शर्तों सम्बंधी अध्यादेश

1.1 भर्ती एवं अर्हताएं—

- 1.1.1 सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक, निदेशक, विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय उप ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, विश्वविद्यालय उप निदेशक, विश्वविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं खेल पदों पर सीधी भर्ती अखिल भारत स्तर पर विज्ञापन एवं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 की धारा 46 के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से योग्यता के आधार पर होगी।
- 1.1.2 सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक, निदेशक, विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय उप ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, विश्वविद्यालय उप निदेशक, विश्वविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं एआईसीटीई/यूजीसी जैसी स्थिति हो, द्वारा जारी विनियमों के अनुसार होगी।
- 1.1.3 अर्हता सम्बंधी समस्त प्रमाण-पत्र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से होने चाहिए।
- 1.1.4 शैक्षिक पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों द्वारा एम.फिल/एम.ई./एम.टेक और/अथवा पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए व्यतीत अवधि अध्यापन/शोध के अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा।

2.1 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, एम.सी.ए., प्रबंधन, भेषजी, वास्तुकला, नगर आयोजन के शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती

कार्यक्रम (1)	संवर्ग (2)	न्यूनतम अर्हताएं (3)	अनुभव (4)
अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी,	सहायक प्राध्यापक	बी.ई./बी.टेक. या एम.ई./एम.टेक. में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ संबंधित संकाय में बी.ई./बी.टेक. एवं एम.ई./एम.टेक.	
एम.सी.ए.	सहायक प्राध्यापक	बी.ई./बी.टेक. या एम.ई./एम.टेक. में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ संबंधित संकाय में बी.ई./बी.टेक. एवं एम.ई./एम.टेक.	
अथवा			
		बी.ई./बी.टेक. या एम.सी.ए. में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ बी.ई./बी.टेक. एवं एम.सी.ए.	
अथवा			
		प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ एम.सी.ए. के साथ दो वर्षों का संबंधित अनुभव.	

(1)	(2)	(3)	(4)
प्रबंधन	सहायक प्राध्यापक	प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष में व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष तथा 2 वर्ष का संबंधित अनुभव वांछनीय.	
भेषजी	सहायक प्राध्यापक	स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ भेषजी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि.	
वास्तुकला	सहायक प्राध्यापक	वास्तुकला में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ वास्तुकला में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि.	
नगर आयोजन	सहायक प्राध्यापक	स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ नगर आयोजन में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि.	
	सह प्राध्यापक	उपरोक्तानुसार सहायक प्राध्यापक पद की अर्हता, जैसा लागू हो, एवं उपयुक्त संकाय में पीएच.डी., पीएच.डी. उपरांत प्रकाशन एवं पीएच.डी. विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अतिवांछनीय.	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्षों का अनुभव पीएच.डी. उपरांत वांछनीय है. वास्तुकला के संदर्भ में वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 5 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव भी मान्य होगा.
	प्राध्यापक	उपरोक्तानुसार सह प्राध्यापक पद के लिए अर्हता, जैसा लागू हो, पीएच.डी. उपरांत प्रकाशन एवं पीएच.डी. विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अतिवांछनीय.	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्षों का अनुभव सह-प्राध्यापक स्तर में हो. या शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्षों का अनुभव. शोध क्षेत्र में अनुभव की स्थिति में, उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड एवं पुस्तकों / शोध पत्रों का प्रकाशन / आई.पी.आर / पेटेंट

(1)	(2)	(3)	(4)
			संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें। यदि औद्योगिक अनुभव को मान्य किया जाता है तो वह, सह प्राध्यापक के समकक्ष प्रबंधकीय स्तर का हो, जिसमें साथ ही उपाय/अभिकल्पन, आयोजन, क्रियान्वयन, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, नवाचार, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध पत्र प्रकाशन/आई.पी.आर/पेटेंट आदि के रूप में, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें, सक्रिय प्रतिभागिता हो। वास्तुकला के संदर्भ में वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 10 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव भी मान्य होगा।
निदेशक	उपरोक्तानुसार प्राध्यापक पद की अर्हता, जैसा लागू हो। पीएच.डी. उपरांत प्रकाशन एवं पीएच.डी. विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अतिवांछनीय।		शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम 3 वर्षों का अनुभव प्राध्यापक स्तर में हो, या शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्षों का अनुभव। शोध क्षेत्र में अनुभव की स्थिति में, उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड एवं पुस्तकों/शोध पत्रों का प्रकाशन/आई.पी.आर/पेटेंट संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें।

(1)	(2)	(3)	(4)
			यदि औद्योगिक अनुभव को मान्य किया जाता है तो वह, प्राध्यापक के समकक्ष प्रबंधकीय स्तर का हो, जिसमें साथ ही उपाय/अभिकल्पन विकास आयोजन, क्रियान्वयन, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, नवाचार, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध पत्र प्रकाशन आई.पी.आर./पेटेंट आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें। प्रबंधन में अभिरुचि एवं नेतृत्व का गुण अनिवार्य है। वास्तुकला के संदर्भ में वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 10 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव भी मान्य होगा।

- (i) पीएच.डी. की समतुल्यता, अभ्यर्थी के मुख्य लेखक के रूप में पांच अंतर्राष्ट्रीय जर्नल पेपर्स के प्रकाशन के आधार पर होगी, जिसमें से प्रत्येक जर्नल का संचित प्रभाव सूचकांक 2.0 से कम नहीं होगा और समस्त पांच प्रकाशन लेखक के विशेषज्ञता क्षेत्र में होगा।
- (ii) पीएच.डी. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होगा।
- (iii) किसी पदधारी सहायक प्राध्यापक के लिए सहायक प्राध्यापक पद के अनुभव को सह-प्राध्यापक पद के अनुभव के समतुल्य माना जावेगा, बशर्ते कि उस पदधारी सहायक प्राध्यापक ने संबंधित संकाय में पीएच.डी. उपाधि अर्जित की हो।
- (iv) डिप्लोमा (पत्रोपाधि) संस्थाओं में अनुभव को भी स्नातक स्तर की संस्थाओं में अनुभव के समुचित स्तर एवं जैसा लागू हो, के समतुल्य माना जावेगा। तथापि उपरोक्तानुसार शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगा।
- (v) यदि श्रेणी प्रदान नहीं की जाती है, तो कुल अंको में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको को प्रथम श्रेणी के समतुल्य माना जावेगा।

2.2 विज्ञान एवं मानविकी में शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताएं—

2.2.1 सहायक प्राध्यापक :-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी के साथ मानविकी एवं विज्ञान के उपयुक्त विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (ii) उपरोक्त अर्हता पूर्ण करने के अतिरिक्त, अभ्यर्थी द्वारा यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे एस.एल.ई.टी./एन.ई.टी. भी उत्तीर्ण की गई हो।

- (iii) इस खण्ड के उप खण्ड (i) और (ii) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी, जिसके पास 2009 से पूर्व प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि हो, या जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) के अनुरूप 2009 के पश्चात, पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो, उसे विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक पद पर चयन एवं नियुक्ति हेतु एन.ई.टी./एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. की न्यूनतम योग्यता शर्त की अपेक्षा में छूट प्रदान की जाएगी.

2.2.2 सह-प्राध्यापक

- (i) सहायक प्राध्यापक पद हेतु उपर्युक्तानुसार अर्हता एवं प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि.
- (ii) सहायक प्राध्यापक के समकक्ष किसी शैक्षणिक/शोध पद पर शिक्षण/शोध का न्यूनतम 6 वर्षों का अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जर्नल में उत्तम प्रभाव कारक के साथ न्यूनतम तीन प्रकाशन.
- (iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम, 2012 में सन्निहित मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित निष्पादन (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षिक निष्पादन संकेतक (ए.पी.आई.) में यथा निर्दिष्ट न्यूनतम अंक.

2.2.3 प्राध्यापक

- (i) सह-प्राध्यापक पद हेतु उपर्युक्तानुसार अर्हता.
- (ii) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षण, और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्था/उद्योग में शोध में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव, जिसमें से 5 वर्ष सह प्राध्यापक स्तर में हो, जिसमें डॉक्टोरल स्तर पर शोध के लिए उम्मीदवारों का मार्ग दर्शन करने का अनुभव भी शामिल है.

या

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान/उद्योग में शोध में न्यूनतम 13 वर्षों का अनुभव.

- (iii) प्रकाशित कार्य का साक्ष्य जिसमें न्यूनतम चार प्रकाशन अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के जर्नल में उत्तम प्रभाव कारक के साथ हो.
- (iv) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम, 2012 में सन्निहित मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित निष्पादन (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षिक निष्पादन संकेतक (ए.पी.आई.) में यथा निर्दिष्ट न्यूनतम अंक.

2.3 विश्वविद्यालय में सहायक ग्रंथपाल, उप ग्रंथपाल एवं ग्रंथपाल पदों पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताएं.

2.3.1 विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल

- (i) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको (या समतुल्य ग्रेड, जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान अथवा समतुल्य व्यावसायिक उपाधि और सतत उत्तम शैक्षिक रिकार्ड के साथ ग्रंथालय के कम्प्यूटरीकरण की जानकारी.
- (ii) इस उद्देश्य के लिए यू.जी.सी. अथवा यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण.

- (iii) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार, पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो या की जावे, उन्हें विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल के चयन एवं नियुक्ति के लिए आवश्यक एन.ई.टी./एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. की न्यूनतम अर्हता से छूट प्रदान की जावेगी.

2.3.2 उप ग्रंथपाल

- (i) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको या उसके समतुल्य यू.जी.सी. सात बिन्दु पैमाने में 'बी' ग्रेड, के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि एवं सतत उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड.
- (ii) विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल/महाविद्यालय ग्रंथपाल के रूप में पांच वर्षों का अनुभव.
- (iii) अभिनव पुस्तकालयीन सेवा एवं प्रकाशित कार्यों के व्यवस्थापन और व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण संबंधी साक्ष्य.
- (iv) वांछनीय : पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन/पुरालेख एवं पांडुलिपि संधारण/पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण में एम.फिल/पीएच.डी. उपाधि.

2.3.3 विश्वविद्यालय ग्रंथपाल

- (i) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको या उसके समतुल्य यू.जी.सी. सात बिन्दु पैमाने में 'बी' ग्रेड, के साथ स्नातकोत्तर उपाधि एवं सतत उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड.
- (ii) विश्वविद्यालय में उप ग्रंथपाल के रूप में न्यूनतम 13 वर्ष अथवा विश्वविद्यालय में सहायक ग्रंथपाल/महाविद्यालय ग्रंथपाल के रूप में 18 वर्ष का अनुभव.
- (iii) अभिनव पुस्तकालयीन सेवा एवं प्रकाशित सामग्रियों के व्यवस्थापन संबंधी साक्ष्य.
- (iv) वांछनीय : पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन/पुरालेख एवं पांडुलिपि संधारण/पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण में एम.फिल/पीएच.डी. उपाधि.

- 2.4 सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल, उपनिदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल, निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल पदों के लिए न्यूनतम अर्हता

2.4.1 विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल

- (i) सतत उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड सहित न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको (या समतुल्य ग्रेड जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) के साथ शारीरिक शिक्षा अथवा क्रीड़ा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि.
- (ii) अंतर विश्वविद्यालयीन/अंतर महाविद्यालयीन प्रतिस्पर्धाओं अथवा राज्य और/या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने संबंधी साक्ष्य.
- (iii) इस उद्देश्य के लिए यूजीसी अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर परीक्षा में उत्तीर्ण.
- (iv) इन विनियमों के अनुसार आयोजित शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण.

- (v) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार, पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो या की जावे, उन्हें विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के चयन एवं नियुक्ति के लिए आवश्यक एन.ई.टी./एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. की न्यूनतम अर्हता से छूट प्रदान की जावेगी.

2.4.2 विश्वविद्यालय उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल

- (i) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय निकाय से बाहरी अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको (या समतुल्य ग्रेड जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
- (ii) विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल/महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के रूप में आठ वर्षों का अनुभव, पीएच.डी. और एम.फिल. उत्तीर्ण होने पर क्रमशः 2 वर्ष और एक वर्ष की छूट.
- (iii) प्रतियोगिता आयोजित करने एवं न्यूनतम 2 सप्ताह की अवधि के कोचिंग कैंप संचालित करने संबंधी साक्ष्य.
- (iv) राज्य/राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालयीन/संयुक्त विश्वविद्यालयीन स्पर्धाओं, आदि के लिये उत्तम प्रदर्शन करने वाली टीम/एथलीट बनाने सम्बंधी साक्ष्य.
- (v) इन विनियमों के अनुरूप शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण.
- (vi) सतत उत्तम मूल्यांकन प्रतिवेदन.

2.4.3 विश्वविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल

- (i) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी.
- (ii) विश्वविद्यालय उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के रूप में न्यूनतम दस वर्षों का अथवा विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल/महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के रूप में पन्द्रह वर्षों का अनुभव.
- (iii) न्यूनतम दो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमीनार/सम्मेलनों में सहभागिता.
- (iv) सतत उत्तम मूल्यांकन प्रतिवेदन.
- (v) स्पर्धाएं आयोजित करने एवं न्यूनतम 2 सप्ताह की अवधि के कोचिंग कैंप संचालित करने संबंधी साक्ष्य.
- (vi) राज्य/राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालयीन/संयुक्त विश्वविद्यालयीन स्पर्धाओं, आदि के लिये उत्तम प्रदर्शन करने वाली टीम/एथलीट बनाने सम्बंधी साक्ष्य.

2.4.4 शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा मापदण्ड

- (अ) इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को जिन्हें शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा देना अनिवार्य है, उन्हें चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होना होगा, जिसमें प्रमाणित हो कि वह ऐसी परीक्षाओं के लिए चिकित्सकीय आधार पर स्वस्थ है।
- (ब) ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, जैसा कि उपरोक्त उप कंडिका (अ) में उल्लेखित है, अभ्यर्थी को निम्न मापदण्डों के अनुरूप शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा देनी होगी –

पुरुषों के लिए मापदण्ड

12 मिनट पैदल चाल परीक्षा

30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर

महिलाओं के लिए मापदण्ड

8 मिनट पैदल चाल परीक्षा

30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर

2.5 बिंदु पैमाने पर ग्रेड बिंदु की प्रतिशत समतुल्यता :

यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान ग्रेड में परिणाम घोषित करते हैं, अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाने वाले सी.जी.पी.ए. के संबंध में, समतुल्य प्रतिशत की सारणी संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी। समतुल्य प्रतिशत की सारणी के अभाव में ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. विनियम, जैसा लागू हो, को आधार लेकर, रैखिक अंतरवेशण का उपयोग किया जावेगा।

- 3.1 उपरोक्त समस्त पदों के कैरियर उन्नति योजना सहित समस्त चयन प्रक्रिया में ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. विनियम, यथा स्थिति जो भी लागू हो, में सन्निहित “मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित निष्पादन (पी.ए.बी.एस)” के आधार पर “शैक्षणिक निष्पादन संकेतक (ए.पी.आई.)” पूर्ण पारदर्शिता से लागू किया जावेगा। ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. यथा स्थिति जो लागू हो, द्वारा ए.पी.आई और पी.बी.एस. में समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों को अंगीकृत किया जावेगा।
- 3.2 प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक एवं अन्य संवर्गों के पदों पर खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति एवं कार्यरत अध्यापकों की कैरियर उन्नति योजना के माध्यम से पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हताओं एवं शर्तों से संबंधित किसी मुद्दे पर यदि इस अध्यादेश में कोई उल्लेख नहीं हो, तो ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. विनियम, यथा स्थिति जो लागू हो, को आधार माना जावेगा।
- 3.3 प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक एवं अन्य संवर्गों के पदों पर खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति एवं कार्यरत अध्यापकों की कैरियर उन्नति योजना के माध्यम से पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हताओं एवं शर्तों के सम्बंध में ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. विनियम, यथा स्थिति जो लागू हो द्वारा किये गए संशोधन, विश्वविद्यालय द्वारा अनुकूलन किए जाने पर लागू होंगे।

3.4 अनर्हताएं : अनर्हता की शर्तें, इस संबंध में छ.ग. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित नियमों के अनुरूप, लागू होंगी.

3.5 चयनित अभ्यर्थी दो वर्षों की परिवीक्षा पर नियुक्त किये जावेंगे।.

3.6 आयु सीमा

पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा
सहायक प्राध्यापक	21 वर्ष	40 वर्ष
सह प्राध्यापक	—	50 वर्ष
प्राध्यापक	—	58 वर्ष
निदेशक	—	58 वर्ष
विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल	21 वर्ष	30 वर्ष
विश्वविद्यालय उप ग्रंथपाल	—	50 वर्ष
विश्वविद्यालय ग्रंथपाल	—	58 वर्ष
विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल	21 वर्ष	30 वर्ष
विश्वविद्यालय उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल	—	50 वर्ष
विश्वविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल	—	58 वर्ष

टीप : 1.सहायक प्राध्यापक, विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल तथा विश्वविद्यालय सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं खेल पदों के पीएच.डी. उपाधिधारी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट रहेगी.

2.छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों के लिए लागू आयु सीमा में छूट केन्द्र से वित्त पोषित संस्थाओं एवं केन्द्र शासन के कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे.

3.7 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य विशिष्ट संवर्गों के व्यक्तियों को आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता और अन्य छूट संबंधी प्रावधान छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुरूप लागू होंगे.

3.8 विशिष्ट पाठ्यक्रम में संकाय पदों के लिए, स्नातक/स्नातकोत्तर/पीएच.डी. में अध्ययन की शाखा का निर्धारण, चयन समिति द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन के प्रकाशित होने के पूर्व किया जावेगा.

3.9 सतत उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड का अर्थ है कि अभ्यर्थी को 10+2/मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर में कम से कम 55 प्रतिशत अंको (अथवा बिंदु पैमाने पर समतुल्य ग्रेड, जहां ग्रेडिंग पद्धति का पालन किया जाता है) के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए.

3.10 डिजाइन, माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स/नैनोटेक्नॉलाजी, एनर्जी एंड एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायो-मेडीकल इंजीनियरिंग और बायो-इन्फॉर्मेटिक्स जैसे अंतर-शिक्षण शाखा में एम.टेक. स्तर के पाठ्यक्रम के लिए चयन समिति एम.एस.सी. और पीएच.डी को संकाय पदों के चयन हेतु सम्मिलित करने का निर्णय कर सकती है.

Bhilai, the 27th November 2019

No. छगस्वावितवि/प्रशा./2020/1987.—Under section 66 (2) of Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (Amendment) Act, 2014 after the approval of the Governor/Chancellor on 05 April 2017 Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai Ordinance No. 31 - "Ordinance for Qualifications and Conditions of Appointment including Pay Scales of the Teachers and other cadre of the University payable by the University", is hereby notified. This Ordinance is effective from the date of approval by the Governor/Chancellor.

CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY BHILAI

Ordinance No. 31

(Refer clause 15 of Section 38)

Ordinance for Qualifications and Conditions of Appointment including Pay Scales of the Teachers and other cadre of the University payable by the University

Recruitment and Qualifications

- 1.1.1 The direct recruitment to the post of Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Director, University Assistant Librarian, University Deputy Librarian, University Librarian, University Assistant Director, University Deputy Director, University Director of Physical Education and Sport shall be on the basis of merit through all India advertisement and selections by the duly constituted Selection Committee as specified in Section 46 of Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Act 2004.
- 1.1.2 The minimum qualifications required for the Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Director, University Assistant Librarian, University Deputy Librarian, University Librarian, University Assistant Director, University Deputy Director, University Director of Physical Education and Sport shall be in accordance with regulations prescribed by AICTE/UGC as applicable.
- 1.1.3 All the degrees in qualifications shall be from a recognized University/Institute.
- 1.1.4 The period of time taken by candidates to acquire M. Phil/ME/MTech and / or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching /research experience to be claimed for appointment to the teaching position.

- 2.1 Direct Recruitment for teaching positions in Engineering and Technology, MCA, Management, Pharmacy, Architecture, Town Planning

Programme (1)	Cadre (2)	Qualifications (3)	Experience (4)
Engineering And Technology	Assistant Professor	BE/BTech and ME/MTech in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/BTech or ME/MTech.	--
MCA	Assistant Professor	BE/BTech and ME/MTech in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/BTech or ME/MTech.	

OR

BE/ BTech and MCA with First class
or equivalent in either BE / BTech or
MCA.

OR

MCA with first class or equivalent
with two years relevant experience.

(1)	(2)	(3)	(4)
Management	Assistant Professor	First Class or equivalent in Masters Degree in Business Administration or equivalent and 2 years relevant experience is desirable.	
Pharmacy	Assistant Professor	Bachelors and Masters Degree in Pharmacy with First Class or equivalent either in Bachelors or Masters Degree.	
Architecture	Assistant Professor	Bachelors and Masters Degree in Architecture with First Class or equivalent either in Bachelors or Masters Degree.	
Town Planning	Assistant Professor	Bachelors and Masters Degree in Town Planning with First Class or equivalent either in Bachelors or Masters Degree.	
	Associate Professor	Qualification as above that is for the post of Assistant Professor, as applicable and PhD or equivalent, in appropriate discipline Post PhD publications and guiding PhD student is highly desirable.	Minimum of 5 years experience in teaching/ research / industry of which 2 years post PhD experience is desirable.
	Professor	Qualification as above that is for the post of Associate Professor, as applicable Post PhD publications and guiding PhD students is highly desirable.	Minimum of 10 years teaching/research/ industrial experience of which at least 5 years should be at the level of Associate Professor.

or

Minimum of 13 years experience in teaching and/or research and/or Industry. In case of research experience, good academic record and books/research paper publications / IPR / patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the selection committee.

If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Associate Professor with active participation record in devising/ designing, planning, executing,

(1)	(2)	(3)	(4)
			analyzing, quality control, innovating, training, technical books/research paper publications / IPR / patents, etc as deemed fit by the expert members of the Selection committee. In case of Architecture, Professional Practice of 10 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.
	Director	Qualification as above that is for the post of Professor, as applicable. Post PhD publications and guiding PhD students is highly desirable.	Minimum of 10 years experience in teaching/ Research/Industry out of which at least 3 years shall be at the level of Professor. or Minimum of 13 years experience in teaching and/or Research and/or Industry. In case of research experience, good academic record and books /research paper publications /IPR/ patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the Selection committee. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Professor level with active participation record in devising/ designing, developing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating, training, technical books / research paper publications / IPR / patents, etc as deemed fit by the expert members of the Selection committee. Flair for Management and Leadership is essential. In case of Architecture, Professional Practice of 10 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.

- i. Equivalence for PhD is based on publication of 5 International Journal papers, each Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the authors' area of specialization.

- ii. PhD shall be from a recognized University.
- iii. For an incumbent Assistant Professor, experience at the level of Assistant Professor will be considered equivalent to experience at the level of Associate Professor, provided the incumbent Assistant Professor has acquired or acquires Ph. D Degree in the relevant discipline.
- iv. Experience at Diploma Institutions is also considered equivalent to experience in degree level Institutions at appropriate level and as applicable. However, qualifications as above shall be mandatory.
- v. If a class/ division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/ division.

2.2 Minimum qualification for Direct Recruitment for teaching positions in Science and Humanities

2.2.1 ASSISTANT PROFESSOR

- i. Master's degree in relevant subject of Humanities and Sciences with first class or equivalent, at Bachelor's or Master's level from any recognized Indian University.
- ii. Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.
- iii. Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause; a candidate, who has a Ph.D .Degree awarded before 2009, or has been awarded a Ph.D. Degree after 2009 in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment as Assistant Professor in the University.

2.2.2 ASSOCIATE PROFESSOR

- i. Qualification as above for the post of Asstt. Professor and Ph.D. degree in relevant subject.
- ii. A minimum of 6 years of experience in teaching or research at an academic/research position equivalent to that of Assistant Professor and minimum of 3 publications with good impact factor in International Journal of repute.
- iii. A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based on Appraisal System (PBAS), set out in AICTE Regulation 2012.

2.2.3 PROFESSOR

- i. Qualification as above for the post of Associate Professor.
- ii. A minimum of 10 years of teaching experience in university/college, and/or experience in research at the University/National level institutions/industries out of which 5 years should be at the level of Associate Professor including experience of guiding candidates for research at doctoral level.

OR

Minimum of 13 years of teaching experience in University/college, and/or experience in research at the University/National level Institutions/industries.

- iii. Evidence of published work with a minimum of 4 publications with good impact factor in International Journal of repute.
- iv. A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based on Performance Based Appraisal System (PBAS), set out in this Regulation in AICTE Regulation 2012.

2.3 Minimum Qualifications for Direct Recruitment to the Posts of Assistant Librarian, Deputy Librarian and Librarian in the University

2.3.1 **UNIVERSITY ASSISTANT LIBRARIAN**

- i. A Master's Degree in Library Science / Information Science / Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and a consistently good academic record with knowledge of computerization of library.
- ii. Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC.
- iii. However, candidates, who are, or have been awarded Ph.D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of University Assistant Librarian.

2.3.2 **UNIVERSITY DEPUTY LIBRARIAN**

- i. A Master's Degree in library science/information science/documentation with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale and a consistently good academic record.
- ii. Five years experience as an University Assistant Librarian/College Librarian.
- iii. Evidence of innovative library service and organization of published work and professional commitment, computerization of library.
- iv. Desirable: A M.Phil./Ph.D. Degree in library science/information science/ Documentation / Archives and manuscript-keeping/computerization of library.

2.3.3 **UNIVERSITY LIBRARIAN**

- i. A Master's Degree in Library Science /Information Science/documentation with at least 55% marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale and a consistently good academic record.
- ii. At least thirteen years as a Deputy Librarian in a university library or eighteen years' experience as a University Asstt Librarian /College Librarian.
- iii. Evidence of innovative library service and organization of published work.
- iv. Desirable: A M.Phil./Ph.D. Degree in library science/information science / documentation/archives and manuscript-keeping.

2.4 Minimum Qualifications for the posts of Assistant Director of Physical Education And Sports, Deputy Director of Physical Education and Sports, Director of Physical Education and Sports,

2.4.1 **UNIVERSITY ASSISTANT DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS**

- i. A Master's Degree in Physical Education or Master's Degree in Sports Science with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) with a consistently good academic record.
- ii. Record of having represented the university/college at the inter-university /inter-collegiate competitions or the State and/ or national championships.
- iii. Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC.
- iv. Passed the physical fitness test conducted in accordance with these Regulations.

- v. However, candidates, who are, or have been awarded Ph.D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of University Assistant Director of Physical Education & Sports.

2.4.2 UNIVERSITY DEPUTY DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

- (i) A Ph.D. in Physical Education. Candidates from outside the university system, in addition, shall also possess at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level by the University concerned.
- (ii) Eight years experience as University Assistant DPES/College DPES, with a benefit of two years and one year for Ph.D. and M.Phil. Degree holders.
- (iii) Evidence of organizing competitions and conducting coaching camps of at least two weeks duration.
- (iv) Evidence of having produced good performance teams/athletes for competitions like state/national/inter-university/combined university, etc.
- (v) Passed the physical fitness test in accordance with these Regulations.
- (vi) Consistently good appraisal reports.

2.4.3 UNIVERSITY DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

- (i) A Ph.D. in Physical Education.
- (ii) Experience of at least ten years as University Deputy or fifteen years as University Assistant DPES/College DPES.
- (iii) Participation in at least two national/international seminars/conferences.
- (iv) Consistently good appraisal reports.
- (v) Evidence of organizing competitions and conducting coaching camps of at least two weeks' duration.
- (vi) Evidence of having produced good performance teams/athletes for competitions like state/national/inter-university/combined university, etc.,

2.4.4 Physical Fitness Test Norms

- (a) Subject to the provisions of these Regulations, all candidates who are required to undertake the physical fitness test shall be required to produce a medical certificate certifying that he/she is medically fit before undertaking such tests.
- (b) On production of such certificate mentioned in sub-clause (a) above, the candidate would be required to undertake the physical fitness test in accordance with the following norms:

NORMS FOR MEN

12 MINUTES WALK TEST

Up to 30 years	Up to 40 years	Up to 45 years	Up to 50 years
1800 metres	1500 metres	1200 metres	800 metres

NORMS FOR WOMEN**8 MINUTES WALK TEST**

Up to 30 years	Up to 40 years	Up to 45 years	Up to 50 years
1000 metres	800 metres	600 metres	400 metres

2.5. PERCENTAGE EQUIVALENCE OF GRADE POINTS FOR A POINT SCALE:

It is hereby clarified that where the University/College/Institution declare results in grade, in respect of CGPA awarded to the candidates, the table of percentage equivalence shall be provided by the University concerned. In case of absence of table of percentage equivalence, AICTE/UGC regulation as applicable will be taken as reference using linear interpolation.

- 3.1 The AICTE/UGC Regulation as applicable, containing the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS) will be followed transparently in all the selection processes, including Career Advancement scheme (CAS) for all the posts above. The time to time changes amended by the AICTE/UGC as applicable in the API and PBAS will be adopted.
- 3.2 In case this ordinance is silent on any issues relating to Minimum qualifications and conditions for the post of Professors, Associate Professors and Assistant Professors and other cadre in the University for appointment of persons through open Advertisement and promotion of working teachers through career Advancement Scheme (CAS) the AICTE / UGC regulations as applicable shall be referred.
- 3.3 Any amendments made by the AICTE / UGC as applicable in respect of minimum qualifications and conditions for the post of Professors, Associate Professors and Assistant Professors and other cadre in the University for appointment of persons through open advertisement and promotion of working teachers through CAS will be applicable.
- 3.4 Disqualifications : The conditions for disqualification will be applicable in accordance with the rules laid down by Govt of Chhattisgarh from time to time in this regard.
- 3.5 The selected candidates shall be appointed on probation for two years.
- 3.6 The age limit:

Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit
Assistant Professor	21 Years	40 Years
Associate Professor	-	50 Years
Professor	-	58 Years
Director	-	58 Years
University Assistant Librarian	21 years	30 Years
University Deputy Librarian	-	50 Years
University Librarian	-	58 Years
University Assistant Director of Physical Education and Sports	21 years	30 Years
University Deputy Director of Physical Education and Sports	-	50 Years
University Director of Physical Education and Sports	-	58 Years

- Note :-** 1. There will be age relaxation of five years for the candidates possessing PhD degree applying for the post of Assistant Professor, University Assistant Librarian and University Assistant Director of Physical Education and Sports.
2. Age relaxation as applicable to Chhattisgarh Government employees will also be applicable to employees of Centrally Funded Institutions and Central Government.

- 3.7 Reservations, relaxations in age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons will be in accordance with the orders issued by Govt. of Chhattisgarh from time to time in this regard.
- 3.8 For faculty positions in the specific courses, the branch of study of graduation/post graduation/Ph D may be determined by the selection committee before publishing the advertisement for recruitment.
- 3.9 Constantly good academic records means the candidate should have passed 10+2/Matriculation, Graduation and Post graduation with at least 55 % marks (or equivalent grade in a point scale where ever grading system is followed).
- 3.10 For interdisciplinary M Tech level courses like Design, Micro Electronics/Nano Technology, Energy and Environmental Engineering, Bio-medical Engineering and Bio-informatics, the selection committee may also decide inclusion of qualifications like M Sc and PhD for faculty positions.

डॉ. के. के. वर्मा,
कुलसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 16th July 2020

No. 78/L.G./2020/II-2-25/2016.—Shri Arvind Kumar Sinha, II Additional Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 08 days from 06-12-2019 to 13-12-2019 along with permission to remain out of headquarters during the said period and earned leave for 07 days from 29-01-2020 to 04-02-2020 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sinha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+09 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th July 2020

No. 79/L.G./2020/II-3-28/2008.—Smt. Girija Devi Meravi, Special Judge (Atrocities), Raigarh is hereby, granted earned leave for 10 days from 22-07-2019 to 31-07-2019 along with permission to leave headquarters from 23-07-2019 till 31-07-2019 and earned leave for 04 days from 14-02-2020 to 17-02-2020 along with permission to leave headquarters from 14-02-2020 till 17-02-2020.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Meravi, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 16th July 2020

No. 80/L.G./2020/II-2-19/2015.—Smt. Satyabhama Ajay Dubey, Judge, Family Court, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 04 days from 30-12-2019 to 02-01-2020 along with permission to remain out of headquarters and child care leave for 19 days from 20-02-2020 to 09-03-2020.

During the period of earned leave & child care leave as the case may be, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dubey, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 140 days of earned leave & 691 days of child care leave, are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 16th July 2020

No. 81/L.G./2020/II-3-14/2003.—Shri Rakesh Bihari Ghore, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 03 days from 22-10-2019 to 24-10-2019 along with permission to remain out of headquarters after the working hours of 21-10-2019 till the morning of 29-10-2019, earned leave for 04 days from 29-12-2019 to 01-01-2020 in continuation of winter vacation from 26-12-2019 to 28-12-2019 along with permission to remain out of headquarters after the working hours of 24-12-2019 till the morning of 02-01-2020 and earned leave for 19 days from 11-02-2020 to 29-02-2020 along with permission to remain out of headquarters from 11-02-2020 till the morning of 02-03-2020.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ghore, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 280 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th July 2020

No. 82/L.G./2020/II-3-35/2007.—Shri Ramashankar Prasad, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 04 days from 17-02-2020 to 20-02-2020 along with permission to remain out of headquarters from 15-02-2020 to 21-02-2020.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Prasad, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+11 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th July 2020

No. 83/L.G./2020/II-3-40/2010.—Shri Vijay Kumar Hota, Special Judge (Atrocities), Raipur is hereby, granted earned leave for 04 days from 28-01-2020 to 31-01-2020 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Hota, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+07 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th July 2020

No. 84/L.G./2020/II-2-14/2015.—Shri Sudhir Kumar, District & Sessions Judge, Dhamtari is hereby, granted commuted leave for 11 days from 23-11-2019 to 03-12-2019 and earned leave for 12 days from 03-02-2020 to 14-02-2020 along with permission to remain out of headquarters from 02-02-2020 to 16-02-2020.

During the period of commuted leave & earned leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 212 days of half-pay-leave & 160 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th July 2020

No. 85/L.G./2020/II-3-3/2011.—Shri Rajnish Shrivastava, District & Sessions Judge, Baloda Bazar is hereby, granted earned leave for 05 days from 25-02-2020 to 29-02-2020 along with permission to remain out of headquarters from 25-02-2020 till 01-03-2020 and earned leave for 03 days from 16-03-2020 to 18-03-2020.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 289 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th July 2020

No. 86/L.G./2020/II-2-11/2017.—Dr. Pragya Pachouri, Judge, Family Court, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 02 days from 16-03-2020 to 17-03-2020.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Dr. Pachouri, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 132 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 16th July 2020

No. 87/L.G./2020/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Judge, Family Court, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 05 days from 09-12-2019 to 13-12-2019 along with permission to remain out of headquarters from 08-12-2019 to 13-12-2019 and earned leave for 04 days from 27-01-2020 to 30-01-2020 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 208 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th July 2020

No. 88/L.G./2020/II-2-18/2019.—Shri Harish Kumar Awasthi, Special Judge (Atrocities), Durg is hereby, granted earned leave for 04 days from 29-10-2019 to 01-11-2019 along with permission to remain out of headquarters & earned leave for 03 days from 27-11-2019 to 29-11-2019 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 26-11-2019 till before the Court hours of 29-11-2019 and earned leave for 08 days from 16-03-2020 to 23-03-2020 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 13-03-2020 till 22-03-2020.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Awasthi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 284 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th July 2020

No. 89/L.G./2020/II-2-36/2011.—Shri Ashok Kumar Luniya, District & Sessions Judge, Balrampur at Ramanujgunj is hereby, granted earned leave for 09 days from 23-09-2019 to 01-10-2019 along with permission to remain out of headquarters during the said period and earned leave for 09 days from 22-06-2020 to 30-06-2020 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Luniya, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+03 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th July 2020

No. 90/L.G./2020/II-2-16/2015.—Smt. Suman Ekka, District & Sessions Judge, Bastar (Jagdalpur), is hereby, granted earned leave for 16 days from 16-03-2020 to 31-03-2020 along with permission to remain out of headquarters from 15-03-2020 till the evening of 26-03-2020 and earned leave for 15 days from 26-06-2020 to 10-07-2020.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 294 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 16th July 2020

No. 91/L.G./2020/II-3-18/2007.—Shri D. L. Katakwar, District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 06 days from 26-12-2019 to 31-12-2019 along with permission to leave headquarters and earned leave for 06 days from 30-03-2020 to 04-04-2020 along with permission to leave headquarters from 29-03-2020 to 06-04-2020.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katakwar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 251 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (ADMN)
